केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/263 दिनांक: 01.09.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00255
CICOM/R/2017/00760

अपीलकर्ता : श्री बिमल शंकर विश्वकर्मा,
सदर बाजार, बड़ी काली नं. 1 रोड,
पो0 – जमालपुर, जिला – मुंगेर,
बिहार ।

निर्णय की तारीख : 01.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	जुलाई, 2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. एल. गुप्ता
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	158353/23.08.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 15.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 15.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना प्रदान कर दी गई है, परन्तु प्रदान की गई सूचना में स्पष्ट रूप से दिनांक नहीं लिखा गया है, केवल 07/2017 लिखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि श्री आर.एल.गुप्ता शायद लिखना भूल गए हैं । अतः श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को सलाह दी जाती है कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाए । श्री आर.एल.गुप्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित आयोग के दिनांक 10.07.2015 के आदेश सं.CIC/VS/A/2014/000253 के अनुपालन एवं आयोग के पूर्व अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमती अचला सिन्हा के दिनांक 19.07.2016 के पत्र के संदर्भ में अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि आयोग के दिनांक 10.07.2015 का आदेश जिसमें प्रतिवादी अर्थात जन सूचना अधिकारी, पूर्व रेलवे, जमालपुर को उपलब्ध दस्तावेजों का अपीलकर्ता द्वारा निरीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है । उक्त आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता को स्वयं जन सूचना अधिकारी, पूर्व रेलवे, जमालपुर के पास जाकर उपलब्ध दस्तावेजो का निरीक्षण करना था, इसमें केन्द्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है और न ही आयोग द्वारा इस मामले में आयोग के जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी को कोई आदेश जारी किया गया है । आयोग के पूर्व अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमती अचला सिन्हा के दिनांक 19.07.2016 के पत्र के संदर्भ में भी उल्लेख किया जाता है कि किसी मामलें में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील आदेश जारी हो जाने के बाद आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी या जन सूचना अधिकारी केवल तभी कोई कार्यवाही कर सकते हैं जब ऐसा करने के लिए आयोग द्वारा उन्हें निर्देश जारी किया गया हो । जबकि उक्त मामले में आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी या जन सूचना अधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिया गया है । अतः इस पर केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है और न ही अपीलकर्ता का कोई मामला केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास लम्बित है ।

O/C

C.I.C./के. सू.
RECEIVED
01 SEP 2017
D. No.......
Initials.......

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।